[न्या]यालय तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला–अजमेर

[मु]कदमा नं. 05/~~2014~~ 2021 किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 राज. भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प०ह० नोसल बनाम श्री हरिसिंह, कल्याणसिंह,
पुत्र श्री जोरावरसिंह, महेन्द्रसिंह, फ्रतहसिंह, महावीरसिंह – पुत्र पूरणसिंह – जाति राजपूत
निवासी नोसल

निर्णय दिनांक 26/02/~~2014~~ 2021

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी हरिसिंह, कल्याणसिंह, जोरावरसिंह, महेन्द्रसिंह, फ्रतहसिंह पुत्र श्री महावीरसिंह पुत्र पूरणसिंह जाति राजपूत निवासी नोसल उपस्थित होकर अतिक्रमण छोड़ने हेतु निवेदन किया। अतः मामला निर्णित किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम नोसल के आराजी खसरा नं. 108 किस्म गै.मु. छापर रकबा 1.2944 पर से पशु बाड़ा कर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्राप्त होने पर मामला अन्तर्गत 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया । अप्रार्थी उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार कर छोड़ने का निवेदन किया।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम नोसल की आराजी खसरा नं. 108 किस्म गै.मु. छापर रकबा 1.2944 से बेदखल किया जाता है तथा लगान 1.28 का 50 गुणा 64/- रूपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। ~~पटवारी हल्का प्रश्नगत आराजी पर खड़ी फसल को निलामी कर फर्द स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें~~।

पटवारी /टी.आर.ए. मांग कायमी कर वसूली करें तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाय गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

न्यायालय तहसीलदार रूपनगढ़ (अजमेर)

वर्ष 2020-21 रा.ले.नं. ... 84 ... 64/- ... कायमी की गई। तहसील राजस्व लेखाकार 5/3/21

तहसीलदार
रूपनगढ़ (जिला-अजमेर)
तहसीलदार रूपनगढ़ (अजमेर)